



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237059
CG-DL-E-05072022-237059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2890]

No. 2890]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का. आ. 3038(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1779 (अ), तारीख 07 अप्रैल, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के सीकर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक भास्कर" तारीख 26 अप्रैल, 2022 एवं "राजस्थान पत्रिका" तारीख 26 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम :- सीकर

तालुक का नाम :- खण्डेला

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू स्वामी/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मालाकाली	2518/1	निजी	बरानी 2	0.2811	बेगा पुत्र मूना हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2323]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

S. O. 3038(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1779 (E), dated the 7th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 12th April, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexure to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in district of Sikar in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Dainik Bhaskar" dated the 26th April, 2022 and "Rajasthan Patrika" the 26th April, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Projects of Western Dedicated Freight Corridor in the state of Rajasthan.

Name of the District:- Sikar

Name of Taluka:- Khandela

Serial Number	Name of Village	Khasra Number	Type of land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Land owner/Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Malakali	2518/ 1	Private	Barani 2	0.2811	Bega putra Muna hissa puran jati Jat sa deh khatedar.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2323]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)